

पत्रांक 14 एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

बी०एम० बीडला,हार्ट रिसर्च, सेंटर

1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु

कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.4.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|--|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | रेणु देवी पति-संजय यादव ग्राम-खुशीयालपुर पोस्ट-ऐरौरा थाना-देव जिला-औरंगाबाद | हृदय रोग | ₹ 91,000/- (एकानवे हजार) स्वीकृत। |
| | | | कुल रू० 91,000/- |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 91,000/- (एकानवे हजार.) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 849970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30570709502, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-अलीपुर ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0000004 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख


पटना, दिनांक

ज्ञापांक पटना, दिनांक
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए
अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 849970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में
वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 435 (14) पटना, दिनांक - 17-4-15
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित
मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
16/4/15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.4.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|---|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | दीनदयाल महतो पिता-स्व. कपिलदेव महतो ग्राम-मानपुर झौआ पोस्ट-भानसपट्टी थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी हौस्पिटल नं० 117/10 | फेफड़ा रोग | ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
| 2 | बन्धु राम पिता-स्व.महावीर राम ग्राम-ऐराजी इस्माईलपुर पोस्ट-बढौना थाना-चैनपुर जिला-भभुआ, कैमुर हौस्पिटल नं०-33 | गुर्दा रोग | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। |
| 3 | चंदन कुमार पिता-भीम सेन भगत ग्राम-बरोरह पो०-तीनेरी थाना-गुरारु जिला-गया हौस्पिटल नं०-1345 | कैंसर रोग | ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
| 4 | अख्तरी खातुन पति/पिता-हबीब अंसारी ग्राम+पो०-सोलरा थाना-परेया जिला-गया | कैंसर रोग | ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 1,25,000/- |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रुपये का क्रास चेक सं०. 849966 मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

ज्ञापांक - 431(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक - 17-4-15

निदेशक प्रमुख
18-4-15

